रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या- **937**/2026/1147/22-02-2025-17(926)/2025

लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदयाल दुबे(बन्दी सं0-302/2007) पुत्र स्व0 राधेश्याम, ग्राम-तिलौरा, थाना-सहजनवॉ, जनपद-गोरखपुर का निवासी है, जिसे एस0टी0नं0-209/2006 में धारा-302 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-11, गोरखपुर के दण्डादेश दिनांक 30.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 16.10.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 07 माह, 16 दिन तथा 19 वर्ष, 04 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या- 937/2026/1147(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।